Result Mitra Daily Magazine

RSS पर से हटा प्रतिबंध

➢ हालिया संदर्भ :-

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का उल्लेख एक ऐसे संगठन के रूप में किया जाना चाहिए, जिसके गतिविधियों में सरकारी अधिकारी भी भाग ले सकते है।
- RSS की गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों द्वारा भाग लिए जाने पर 6 दशक पहले पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था।
- 9 जुलाई को केन्द्र सरकार के मानव संसाधन का प्रबंधन करने वाली कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी कर्मचारी अब RSS की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं तथा पूर्व में लागू आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कारवाई से उन्हें छूट प्राप्त होगा।
- DOPT ने 1966, 1970 और 1980 में जारी किए गए निर्देशों की समीक्षा की है और 30.11.1966, 25.07.1970 और 28.10.1980 के विवाहित आधारिक ज्ञापन से RSS का उल्लेख हटाने का निर्णय लिया है।

➢ पूर्व के प्रावधान :-

- 1966 के प्रावधान :

- 30.11.1966 को गृह मंत्रालय ने कहा था कि RSS और जमात-ए-इस्लामी की सदस्यता या गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी के संबंध में संदेह है।
- सकार ने माना है कि दोनों संगठनों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 5(1) के प्रावधान लागू होंगे।

- आदेश में कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी उपर्युक्त संगठनों या गतिविधियों से जुडा है या उसका सदस्य है तो अनुशासनात्मक कारवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- नियम 5 का संबंध राजनीति और चुनावों में भाग लेने से है।
- नियम 5(1) कहता है कि "कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन का सदस्य नहीं होगा, जो राजनीति में भाग लेता हो।"
- साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा और न ही उसकी सहायता के लिए चंदा देगा और न ही किसी अन्य तरीके से उसकी सहायता करेगा।
- अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, जो IAS, IPS और IFS (भारतीय वन सेवा) के अधिकारियों पर लागू होता है, में भी इसी तरह का नियम 5(1) है।

- **1970 का आदेश :-**
- 25.07.1970 को जारी आदेश में कहा गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कारवाई शुरू की जानी चाहिये, जो 30.11.1966 के निर्देशों का उल्लंघन करता हो।
- आपातकाल (1975-77) के दौरान RSS, जमात-ए-इस्लामी आनंद मार्ग और CPI-MC के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कारवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि इनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था।

- **1980 का आदेश :-**
- इंदिरा गांधी की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा धर्म-निरपेक्षता सुनिश्चित किये जाने पर जोर दिया ओर कहा कि सांप्रदायिक भावनाओं एवं सांपदायिक पूर्वाग्रहों को मिटाने पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है।
- इस आदेश में कहा गया कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये और इन निर्देशों की किसी भी प्रकार से अवहेलना को अनुशासनहीनता का गंभीर कृत्य मानकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये।

- **1966 से पूर्व की स्थिति :-**
- 1964 के केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम और 1968 के अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम से पूर्व सरकारी कर्मचारी आचरण नियम थे, जो वल्लभ भाई पटेल के गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए थे।
- इसमें भी सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना पूर्णतः प्रतिबंधित था।
- समय-समय पर विचाराधीन संगठनों की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया जाता था।

Result Mitra

➢ नियम के उल्लंघन की स्थिति में :-

- 1964 का प्रावधान 5(3) कहता है कि यदि सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए संगठन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है (संगठन किस प्रकार का है) तो सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- 1965 के नियम (3) में भी ऐसा ही प्रावधान है।
- गंभीरतम मामलों में, उल्लंघन की दशा में संबंधित अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
- दिलचस्प यह है कि RSS के पास औपचारिक सदस्यता की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में किसी व्यक्ति का इससे जुडाव साबित कर पाना मुश्किल है।

➢ नए आदेश का तात्पर्य :-

- RSS का राजनीतिक संगठन नहीं,
- कोई भी कर्मचारी (केन्द्र) पूर्ण स्वतंत्रता से इसकी गतिविधियों में भाग ले सकता है।
- 1966, 1970 और 1980 के आदेशों में जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक संगठन का माना गया था, जिसे अब भी बरकरार रखा गया है, अर्थात जमात-ए-इस्लामी अब भी ऐसा संगठन है, जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकते है।

○ RSS के प्रति सरकारों का दृष्टिकोण :-

- तीनों आदेश (1966, 1970, 1980) तब जारी किए गए थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी।
- 1980 और 1990 के दशक में जब राजीव गांधी, पी. वी. नरसिम्हा राव एवं राष्ट्रीय मोर्चा एवं संयुक्त मोर्चा रही।
- स्वयं एक स्वयंसेवक (RSS के सदस्य) रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी स्थिति नहीं बदली, जो 1998 से 2004 तक सत्ता में रहे।
- 2014 से लेकर 9 जुलाई (2024) तक भी स्थिति को पूर्ववत ही रखा गया।
- अफवाहों के दौर में सूचना के अधिकार एक्ट, 2005 के तहत 2016 में पूछे गए प्रश्न के जवाब में DOPT ने कहा था कि सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के आदेशों को वापस लेने के बारे में कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।

➢ RSS का रवैया :-

- RSS ने स्वयं को हमेशा गैर-राजनीतिक संगठन ही बताया है।
- स्वयं को सांस्कृतिक संगठन बताने वाले RSS ने कई बार कहा है कि ऐसे प्रतिबंधों से उनकी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।

Result Mitra TM

- Dec 2014 में RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा था कि हम सरकार से उक्त प्रावधान हटाने की कोई मांग नहीं करेंगे।

➢ आदेश का प्रभाव : केन्द्र और राज्य

- नए परिपत्र में जारी आदेश सिर्फ केन्द्र सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारियों से संबंधित है।
- राज्यों पर ये नियम लागू नहीं होते और राज्यों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अपने आचरण नियम है।

▪ हिमाचल प्रदेश :-

- पी. के. धूमल की भाजपा सरकार ने 24 जनववरी 2008 को निर्देश जारी कर राज्य के कर्मचारियों पर से RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर से प्रतिबंध हटा दिया।
- मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों पर 2003 में उक्त प्रतिबंध लगा दिये थे।
- हालांकि शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने 21 अगस्त 2006 जारी कर उक्त प्रावधान को हटा दिया।
- फरवरी 2015 में छत्तीसगढ में रमन सिंह की भाजपा सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था।

➢ RSS

- 25 Sep 1925 को स्थापना,
- सिर्फ 17 लोगों द्वारा शुरूआत,
- प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के अलावा विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी एवं अन्ना साहने संस्थापक पदस्थ,
- संगठन का नामकरण 17 अप्रैल 1926 को,
- पहली शाखा नागपुर के मोहितेवाडा मैदान में खुली।
- वर्तमान में 60,000 से ज्यादा दैनिक शाखाओं का संचालन,
- विश्व का सबसे बडा स्वैच्छिक संगठन
- नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे प्रार्थना

➢ प्रतिबंध :-

- सर्वप्रथम गांधी जी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा,
- 18 जुलाई 1949 को 18 महीने बाद प्रतिबंध हटाया गया, जब संघ प्रमुख माधवराव गोलवलकर ने तात्कालीन गृह मंत्रालय की शर्तें मानी।
- दूसरी बार 1975 से 1977 तक प्रतिबंध लगा।

Result Mitra TM

- आपातकाल का विरोध करने के कारण लगा प्रतिबंध जनता पार्टी द्वारा 1977 में प्रतिबंध हटाया गया।
- तीसरी बार 1992 में प्रतिबंध लगा।
- 1992 में विवादित ढांचा को गिराए जाने के कारण लगा प्रतिबंध,
- बाबरी मस्जिद विवाद ने राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में निभाई थी भूमिका,
- पी. वी. नरसिम्हा राव प्रतिबंध लगाने के बाद जांच चलाई गई।
- जांच में संलग्नता नहीं पाए जाने के बाद जून 1993 को प्रतिबंध हटाया गया।

नोट :-

1. 1942 के भारत छोडो आंदोलन में उदासीन रहा था RSS !

2. वर्तमान ध्वज के संविधान सभा के प्रस्ताव का भी विरोध किया था RSS ने।

3. RSS का कहना था कि भगवा ध्वज को राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए।

Result Mitra